रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (DN)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1983/चैत्र 5, 1905
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1983/CHAITRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1982

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (संशोधन)

विनियम, 1982

सा०का०नि० 249.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 18 और 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (संशोधन) विनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित देखिए भारत के राजपत्र भाग 2, उपखंड (1), तारीख 8 मई, 1982 में प्रकाशित सा०का०नि० सं० 433, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (संशोधन) विनियम, 1982 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. विद्यमान विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे।

(1) मूल विनियम, 1974 के विनियम 12 के उप विनियम (3) में "अधिकारी" शब्द के स्थान पर "राजपत्रित अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम, 1974 के विनियम 12 के उप विनियम (6) में "प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(3) मूल विनियम, 1974 के विनियम 18-क में "आयोग के किसी अधिकारी द्वारा, शब्दों के पश्चात् "जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

(4) मूल विनियम, 1974 के विनियम 25 के उपविनियम (2) में "ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा" शब्दों के पश्चात् "जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

(5) मूल विनियम, 1974 के विनियम 28 में "किसी अधीनस्थ अधिकारी को" शब्दों के पश्चात् "जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(6) मूल विनियम, 1974 के विनियम 35 के उप विनियम (1) में "एक या अधिक अधिकारियों को" शब्दों के पश्चात् "जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

(7) मूल विनियम, 1974 के विनियम 47 के उप विनियम (1) में "आयोग के किसी अन्य अधिकारी को" शब्दों के पश्चात्

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1983

सा० का० नि० 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी समूह "क" पद भर्ती नियम, 1963* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी समूह "क" पद भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी समूह "क" पद भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ 12 के नीचे निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"जहां प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी पर विचार किया जाता है वहां उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस श्रेणी में विहित अवधि तक सेवा नहीं की है परन्तु उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है विचार किया जाएगा।"

[सं० 12019/1/81-बी (ए)]

जगमोहन लाल माथुर, अवर सचिव

*टिप्पण :—आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 नामक मूल नियम, सा०का०नि० 24 तारीख 23-12-1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

1. अधिसूचना सं० 11/8/62-बी(ए), तारीख 9-4-1964
2. अधिसूचना सं० 11/11/62-बी(ए), तारीख 18-6-1964
3. अधिसूचना सं० 5/24/62-बी(ए), तारीख 31-8-1965
4. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी(ए), तारीख 17-9-1965
5. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी(ए), तारीख 27-11-1965
   (सा०का०नि०सं० 1820 तारीख 11-12-1965)
6. अधिसूचना सं० 13/78/62-बी(ए), तारीख 30-11-1965
7. अधिसूचना सं० 5/15/65-बी(ए), तारीख 28-7-1965
8. अधिसूचना सं० 11/8/65-बी(ए), तारीख 9-9-1966
9. अधिसूचना सं० 5/3/67-बी(ए), तारीख 7-10-1967
10. अधिसूचना सं० 6/107/65-टी० बी०, तारीख 13-7-1966
11. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी(ए), तारीख 13-9-1968
12. अधिसूचना सं० 7/5/68-बी(ए), तारीख 9-10-1968
13. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 14-11-1968
14. अधिसूचना सं० 17/8/68-बी(ए), तारीख 6-6-1969
15. अधिसूचना सं० 17/6/68-बी(ए), तारीख 4-6-1969
16. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी(ए), तारीख 2-9-1969
17. अधिसूचना सं० 17/2/69-बी(ए), तारीख 19-11-1969
18. अधिसूचना सं० 17/1/69-बी(ए), तारीख 23-2-1970
19. अधिसूचना सं० 17/3/69-बी(ए), तारीख 16-9-1970
20. अधिसूचना सं० 1/2/70-बी(ए), तारीख 18-2-1971
21. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 22-3-1971
22. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 6-12-1971
23. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 10-1-1972
24. अधिसूचना सं० 1/3/70-बी(ए), तारीख 18-5-1972
25. अधिसूचना सं० 1/9/71-बी(ए), तारीख 6-6-1972
26. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 13-6-1972
27. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972
28. अधिसूचना सं० 1/6/70-बी(ए), तारीख 6-12-1972
29. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972

30. अधिसूचना सं० 5/39/70-टी० बी०, तारीख 3-1-1973
31. अधिसूचना सं० 1/4/73-बी(ए), तारीख 2-6-1973
32. अधिसूचना सं० 1/10/71-बी(ए), तारीख 10-9-1973
33. अधिसूचना सं० 1/2/73-बी(ए), तारीख 29-9-1973
34. अधिसूचना सं० 1/2/72-बी(ए), तारीख 26-10-1974
    (सा०का०नि०सं० 1195, तारीख 9-11-1974)
35. अधिसूचना सं० 5/33/70-बी(ए), तारीख 30-10-1974
    (सा०का०नि०सं० 1220, 16-11-74)
36. अधिसूचना सं० 1/18/73-बी(ए), तारीख 18-11-1974
37. अधिसूचना सं० 5/17/74-बी(ए), तारीख 13-2-1975
    (सा०का०नि०सं० 267 तारीख 22-2-75)
38. अधिसूचना सं० 5/66/73-टी० बी०, तारीख 5-4-1975
39. अधिसूचना सं० 1/1/71-बी(ए), तारीख 30-6-1975
    (सा० का० नि० सं० 895, 19-7-75)
40. अधिसूचना सं० 1/3/75-बी(ए), तारीख 19-12-1975
41. अधिसूचना सं० 1/6/76-बी(ए), तारीख 20-2-1976
42. अधिसूचना सं० 5/14/75-बी(ए), तारीख 23-3-1976
43. अधिसूचना सं० 5/10/76-बी(ए), तारीख 7-5-1976
44. अधिसूचना सं० 1/1/73-बी(ए), तारीख 19-7-1976
45. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 16-8-1977
    (सा० का० नि० सं० 1184 तारीख 10-9-77)
46. अधिसूचना सं० 12019/7/77-बी(ए), तारीख 15-9-1977
    (सा० का० नि० सं० 1358 तारीख 8-10-1977)
47. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 20-2-1977
48. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 20-2-1978
49. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 20-2-1978
50. अधिसूचना सं० 12019/8/78-बी०(ए०), तारीख 26-12-1978
    (सा०का०नि०सं० 94 तारीख 20-1-79)
51. „ सं० 12018/5/76-बी०(ए०), तारीख 18-4-1978
52. „ सं० 12018/1/76-बी०(ए०), तारीख 18-7-1978
53. „ सं० 12018/5/76-बी०(ए०), तारीख 1-11-1980
54. „ सं० 12019/9/77-बी०(ए०), तारीख 9-1-1981
55. „ सं० 12024/13/76-बी०(ए०), तारीख 8-7-1981
    (सा०का०नि० 722, तारीख 1-8-1981)
56. „ सं० 12019/1/81-बी०(ए०), तारीख 26-9-1981.
57. „ सं० 12018/1/81-बी०(ए०), तारीख 31-8-1981
    (सा०का०नि० सं० 860, तारीख 19-9-1981)
58. „ सं० 12018/4/76-बी०(ए०), तारीख 31-7-1982

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st March, 1983

G.S.R. 267 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Group 'A' Recruitment Rules 1963*, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Posts Recruitment (First Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Group 'A' Posts Recruitment Rules 1963, against serial No. 5, below the entry under column 12, the following note shall be added namely :—

"Where any officer is considered for promotion, all persons senior to him in the grade shall also be considered, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed length of service in the grade provided that they should have successfully completed their period of probation."

[No. 12019/1/81-B(A)]
J. L. MATHUR, Under Secy.

*Note :—The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-4-1964.
2. ,, No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964.
3. ,, No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965.
4. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965.
5. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 (G.S.R. No. 1820, dt. 11-12-65).
6. ,, No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965.
7. ,, No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-1965.
8. ,, No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966.
9. ,, No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-1967.
10. ,, No. 6/107/65-TV, dated 3-7-1968.
11. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-1968.
12. ,, No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968.
13. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 14-11-1968.
14. ,, No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969.
15. ,, No. 17/6/68-B(A), dated 4-6-1969.
16. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 2-9-1969.
17. ,, No. 17/2/69-B(A), dated 19-11-1969.
18. ,, No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1979.
19. ,, No. 17/3/69-B(A), dated 16-9-1970.
20. ,, No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-1971.
21. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971.
22. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-1971.
23. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972.
24. ,, No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972.
25. ,, No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972.
26. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-1972.
27. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
28. ,, No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-1972.
29. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
30. ,, No. 5/39/70-TV, datde 3-1-1973.
31. Notification No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973.
32. ,, No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973.
33. ,, No. 1/2/73-B(A), dated 29-9-9173.
34. ,, No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-1974 (GSR No. 1195, 9-11-1974).
35. ,, No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-1974 (GSR No. 1220, 16-11-74).
36. ,, No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-1974.
37. ,, No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-1975. (GSR No. 267, 22-2-75).
38. ,, No. 5/66/73-TV, dated 5-4-1975.
39. ,, No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975 (GSR No. 895, 19-7-75).
40. ,, No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-1975.
41. ,, No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1976.
42. ,, No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-1976.
43. ,, No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-1976.
44. ,, No. 1/1/73-B(A), dated 19-7-1976.
45. ,, No. 12018/5/76-B(A), dt. 16-8-1977 (GSR No. 1184, 10-9-77).
46. ,, No. 12019/7/77-B(A), dt. 15-9-1977 (GSR No. 1358, 8-10-1977).
47. ,, No. 12018/5/76-B(A), dt. 15-12-1977.
48. ,, No. 12018/4/76-B(A), dt. 20-2-1978.
49. ,, No. 12018/5/76-B(A), dt. 5-5-1978.
50. ,, No. 12019/8/78-B(A), dt. 26-12-78 (GSR No. 24, 20-1-1979.)
51. ,, No. 12018/5/76-B(A), dt. 18-4-1978.
52. ,, No. 12018/1/76-B(A), dt. 18-7-1980.
53. ,, No. 12018/5/76-B(A), dt. 1-11-1980.
54. ,, No. 12019/9/77-B(A), dt. 9-1-1981.
55. ,, No. 12024/13/76-B(A), dt. 8-7-1981. (GSR No. 722 1-8-1981).
56. ,, No. 12019/1/81-B(A), dt. 26-9-1981.
57. ,, No. 12018/1/81-B(A), dt. 31-8-1981, (GSR No. 860 19-9-1981).
58. ,, No. 12018/4/76-B(A), dt. 31-7-1982,

[No. 11(2)/80-Adm. III]
N. RADHAKRISHNAN, Deputy Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1983

सा० का० नि० 268:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ज्येष्ठ प्रबंधक (डाक मोटर सेवा भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डाक-तार बोर्ड संचार मंत्रालय के अधीन ज्येष्ठ प्रबंधक डाक-तार डाक मोटर सेवा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक-तार विभाग (ज्येष्ठ प्रबंधक, डाक मोटर सेवा) भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतमामन :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इससे/इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद/पदों भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,